छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र. –0771–4069817 फैक्सः 4073553

निविदा क्रमांक – 03/2017
निविदा खोलने की तिथि –25/10/2017

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर स्थित आयोग कार्यालय भवन एवं परिसर की साफ सफाई हेतु निविदा

प्रति ,
मेसर्स ....
....
....
....

निविदा प्रपत्र का मूल्य–₹100/–(वापसी योग्य नही)
अमानत राशि–₹9000/–(वापसी योग्य)

सचिव
छ.ग.रा.वि.नि.आयोग
रायपुर

—:::: निविदा की सेवा शर्ते ::::—

1. **कार्य क्षेत्र—**

आयोग का सम्पूर्ण कार्यालय भवन एवं परिसर में संपूर्ण पार्किंग स्थल, अंदर बाहर की नालियाँ, परिसर की सड़कें खुले स्थान का कचरा, भवन स्थित कक्ष/हाल, फर्श की सफाई, दीवारे एवं उसमें लगे जालों आदि की सफाई, सोफे टेबलों, कुर्सियों आलमारियों, रेक्स तथा उपकरणों पर लगी धूल साफ करना, रोशनदान, खिडकियों व परिसर में रखे डस्टबिनों की नियमित सफाई करनी होगी। आयेाग भवन में स्थित बाथरूम, टायलेट इत्यादि की सफाई भी करनी होगी। फिनायल लिक्विड, का छिड़काव व फिनायल गोलियाँ एवं ब्लीचिंग पाऊडर नालियों आदि में आवश्यकतानुसार डालना, छिड़कना होगा।

2. **कार्य का विवरणः—**

आयोग के तीनों तल पर प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य

(समय प्रातः 7:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक)

(1) फर्श की सफाई एवं पोछा (गीला एवं सूखा पोछा)

(2) आफिस के फर्नीचर, टेबल, पेपर ट्रे एवं अन्य सामाग्रियाँ की साफ—सफाई

(3) सभी बाथरूम, वाशॅ बेसिन, किचन की प्रतिदिन दो बार साफ—सफाई करना फिनायल लिक्विड, का छिड़काव एवं फिनायल गोलियाँ आवश्कतानुसार डालना।

(4) प्रभारी अधिकारी के दिशानिर्देश पर आवश्यकता होगी तो आपको अतिरिक्त साफ—सफाई करनी होगी।

(5) प्रतिदिन प्रत्येक कक्ष के डस्बीन की साफ—सफाई करना।

(6) आयोग की पार्किग क्षेत्र एवं गार्डन के आसपास का क्षेत्र में झााडू लगाना।

आयोग के तीनों तल पर दो सप्ताह में एक बार किये जाने वाले कार्य

(1) फाईलों, रैक एवं अन्य फर्नीचर के धूल की साफ—सफाई करना।

(2) पार्टीशन कॉच की कॉलिन से साफ सफाई करना।

आयोग के तीनों तल पर माह में एक बार किये जाने वाले कार्य

(1) दरवाजे एवं खिडकियों की साफ—सफाई करना।

(2) वेक्यूम क्लीनर से आयोग के सोफा एवं कारपेट की साफ—सफाई करना।

(3) मकड़ी जाला, सीलिंग फैन एवं वॉलफैन, टयूब लाईट एवं अन्य फर्नीचर आयटम मुख्यतः स्टील अलमीरा की साफ—सफाई करना।

(4) आयोग भवन के छत की साफ—सफाई एवं पानी से धुलाई करना।

नोटः— बारिश के मौसम में सप्ताह में एक बार पार्किग एवं खुले क्षेत्र में ब्लीचिंग पाऊडर डालकर सफाई करना होगा।

3. कंडिका–01 में बताए गये कार्यो के उपयोग हेतु सफाई सामग्री की व्यवस्था निविदाकर्ता (ठेकेदार) को करनी होगी एवं उसकी जॉच आयोग के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी। आवश्यक सफाई सामग्री **'परिशिष्ट–अ'** में दर्शायी गई है।

4. साफ–सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकर्ता (ठेकेदार) को करना होगा, तथा सफाई की गुणवत्ता, की जांच आयोग के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से करानी होगी।

5. <u>निविदाकर्ता हेतु आवश्यक आर्हता–</u>

(अ) निविदाकर्ता की संस्था (फर्म) (एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट) के रूप में होना चाहिए। जो भारत के विधि के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।

(ब) उपरोक्त कार्य हेतु निविदाकर्ता की संस्था (फर्म) को कम सं कम तीन वर्ष का शासकीय/निजी संस्था में कार्य का अनुभव होना चाहिए।

(स) निविदाकर्ता को आयकर, जी.एस.टी. एवं ई.पी.एफ. आदि के दायरे में यदि आते हो तो रजिस्टर्ड (पंजीकृत) होना अनिवार्य है।

(द) निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त निविदा के संबंध में चाहे गये समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. <u>निविदा की वैधता–</u>

निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा की वैधता 90 दिनों की होगी एवं सफल निविदाकर्ता को उपरोक्त समयावधि के भीतर कार्यादेश जारी किया जावेगा।

7. <u>कार्य अवधि–</u>

सफाई कार्य हेतु प्रति कार्य दिवस में **प्रातः 7:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे** तक कार्यालय एवं परिसर की साफसफाई सफाई कर्मी द्वारा कंडिका 2 में दर्शाये अनुसार करनी होगी। साफ–सफाई कार्य हेतु कम से कम 5 सफाईकर्मी रखने होंगे एवं इसके अतिरिक्त पूर्ण कार्यालयीन समय के लिए 01–स्वीपर एवं 01–सफाई कर्मी अलग से रखने होंगे। इसके अतिरिक्त सफाईकर्मियों की आवश्यकता होने पर व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी इसके लिए अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। फर्म द्वारा नियोजित कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।

8. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी जो कार्य के योग्य अथवा जिनका आचरण नियोजित रखने योग्य नही पाये जाने पर उन्हें तुरंत अलग करने का अधिकार आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा, जिसका ठेकेदार को तत्काल प्रभाव से पालन करना होगा।

9. सभी सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन (कलेक्टर दर) एवं अन्य आवश्यक (Mandatory) भुगतान जो कि ई.पी.एफ., ई.एस.आई, अवकाश वेतन इत्यादि करना अनिवार्य होगा। कार्य में लगाये जाने वाले श्रमिकों का नियमानुसार पंजीयन व

बीमा आदि करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस हेतु अलग से कोई राशि नहीं दी जावेगी। आयोग किसी भी कर्मचारी/निकाय को किसी भी मद में कोई भी राशि के भुगतान हेतु किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. ठेकेदार को प्रति माह देयक के साथ प्रति दिन कार्य में लगाये गये कर्मचारियों की उपस्थिति सूची/पत्रक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सफाई कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों के चाल–चरित्र की सम्पूर्ण जबावदारी ठेकेदार की होगी एवं कार्य के दौरान आयोग को होने वाले किसी भी क्षति की भरपाई हेतु ठेकेदार पूर्णतः जवाबदार होगा।

11. अमानत राशि–

उपयुक्त मापदंड अनुसार साफ–सफाई कार्य की निविदा हेतु अमानत राशि (Earnest Money) **₹9,000/– (नौ हजार मात्र) नगद/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंकर्स चेक/ड्रॉफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के नाम से देय हो, निविदा आवेदन फार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।** निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत निश्चित समयावधि के भीतर असफल निवदाकर्ताओं को अमानत राशि वापस कर दी जावेगी। सफल निविदाकर्ता को उसके अनुरोध पर अमानत राशि वापस कर दी जावेगी/या उक्त राशि को सुरक्षानिधि में समायोजित कर दी जावेगी।

12. निविदाकर्ता एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक **03/2017** अंकित हो तथा उस पर फर्म का नाम, व पते का स्पष्ट उल्लेख हो, जमा करेगा। उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगेः–

    1. **लिफाफा "A" अमानत राशि (Earnest Money)** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नगद राशि जमा करने की मनी रिसिप्ट।
    2. **लिफाफा "B"** निविदा प्रपत्र स्वप्रमाणित मूलप्रति एवं निविदा प्रपत्र में निविदा शर्तों से संबंधित चाहे गये समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
    3. **लिफाफा "C"** दरों से संबंधित विवरण/प्रस्ताव जो कि **'परिशिष्ट–ब'** में दिये गये फार्म में दर्शाना होगा।

प्रथमतः **लिफाफा "A"** खोला जावेगा। नियमानुसार अमानत राशि (Earnest Money) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नगद राशि जमा करने की मनी रिसिप्ट होने पर **लिफाफा "B"** खोला जावेगा एवं निविदा प्रपत्र में दर्शित निविदा शर्तों से समस्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने एवं चाही गई निविदा शर्तों को पूर्ण करने उपरात ही **लिफाफा "C"** खोला जावेगा।

13. यदि दो निविदाकर्ताओं द्वारा समान दर भरी जाती है तो उसका निर्णय लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

14. सुरक्षा निधि–ऐसे सफल निविदाकर्ता जिस पर कार्य हेतु आदेश प्रसारित किया जायेगा को वार्षिक निविदा मूल्य की **5 प्रतिशत** की **सुरक्षा निधि (Security Deposit)** कार्य आरंभ करने के पहले आयोग के

पास नगद या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के नाम से जमा करनी होगी।

15. उपरोक्त निविदा के तहत जारी किये गये कार्यादेश में दिये गये कार्यक्षेत्र में बढ़ोत्तरी या कमी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार देय राशि में भुगतान/कटौती की जावेगी।

16. प्रत्येक माह की समाप्ति पर, ठेकेदार से प्राप्त देयक की मासिक भुगतान की 100 प्रतिशत की राशि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर विमुक्त की जावेगी, परंतु शर्तों में वर्णित दंड आदि की वसूली यदि कोई हो तो, मासिक भुगतान से कटौती योग्य होगी। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर **₹**500/— प्रतिदिन की दर आयोग द्वारा कटौती की जावेगी।

17. **करो की कटौतीः—**

(अ) जीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रचलित नियम के तहत की जावेगी।
(स) आयकर की कटौती मौजूदा प्रचलित दर की तहत की जावेगी।
नोटः— देय राशि पर करों की कटौती प्रचलित नियमों के अनुसार होगी

18. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकर्ता को सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर से नान—जुडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध/करारनामा निष्पादित करना होगा, जिसके लिए आवश्यक स्टॉम्प ड्यूटी **₹100/—** केवल, निविदाकर्ता (ठेकेदार) को वहन करना होगा।

19. उपरोक्त शर्तो के अधीन यह निविदा **दिनांक 01/11/2017 से दिनांक 31/10/2018** तक की अवधि के लिए होगी, एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने उपरांत उक्त अवधि को एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो बार और बढ़ाया जा सकता है।

20. यदि ठेकेदार द्वारा निविदा का अनुबंध करने के पश्चात् या निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के पूर्व कार्य छोड़ा जाता है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण कार्य से हटाया जाता है तो उसके (ठेकेदार) द्वारा जमा सुरक्षानिधि राजसात करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को होगा।

21. आयोग को, बिना कारण बताये अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबंध के बीच में यदि अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उसके लिए ठेकेदार को एक माह का नोटिस आयेाग को देना होगा अन्यथा अनुबंध के समय जमा सुरक्षानिधि राजसात की जा सकती है।

22. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि भावपत्र भरने पूर्व आयोग के भवन, परिसर एवं भवन में स्थित टायलेट एवं बाथरूम इत्यादि का अवलोकन अवश्य कर लें।

23. सफाई कर्मचारियों को उपयुक्त सुरक्षा सामग्री प्रदान करने की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। कार्य के दौरान सफाईकर्ता से हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी आयोग की नहीं होगी।

24. ऊपर उल्लेखित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन न करने एवं विवाद की स्थिति में ठेका किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार आयोग को होगा।

25. आयोग की संपत्ति की क्षति/नुकसान होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकर्ता (ठेकेदार) की होगी एवं जिसकी भरपाई निविदाकर्ता (ठेकेदार) द्वारा की जावेगी।

26. उपरोक्त समस्त निविदा शर्ते एवं निविदा निरस्त एवं अनुबंध के संबंध में आयोग का निर्णय सर्वमान्य होगा।

27. निविदा प्रपत्र को ₹100/– नगद आयोग में जमाकर **दिनांक 25/10/2017 दोपहर 1:00** बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

28. निविदा आयोग कार्यालय में, स्वतः अथवा पंजीकृत डाक से **दिनांक 25/10/2017 दोपहर 3:00 बजे** तक स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाएं **दिनांक 25/10/2017 दोपहर 3:30 को** आयोग कार्यालय में निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक
आयोग रायपुर

परिशिष्ट–अ

<u>एक माह में आवश्यक सफाई सामग्री एवं उसकी न्यूनतम मासिक आवयश्यकता की निर्धारित मात्रा</u>

01	फूल झाडू	10 नग
02	ब्रश बड़े (Big)	02 नग
03	हारपिक	05 नग
04	डस्टर	5 मीटर खादी कपड़ा
05	सीक झाडू	05 नग
06	ब्रश गोल	02 नग
07	पोछा (कपड़ा)	05 नग (2 मीटर x 1 मीटर)
08	निरमा पावडर	05 किलो
09	फिनायल गोली	02 किलो
10	एसिड	05 लीटर
11	ब्रश छोटे	10 नग
12	फिनालय लिक्विड	10 लीटर
13	ब्लीचिंग पावडर	25 किलो

सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक
आयोग रायपुर

परिशिष्ट–ब

भाव पत्र

निविदा क्रमांक–03/2017
निविदा खोलने की तिथि एवं समय–25/10/2017 दोपहर 03:30 बजे

कार्य का नामः– आयोग भवन एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य

क्र.	विवरण	कार्य क्षेत्र	राशि एक मुश्त प्रति माह (₹)
1	2	3	4
01	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं परिसर की साफ–सफाई कार्य के लिए निविदा।	आयोग का सम्पूर्ण कार्यालय भवन, परिसर एवं संपूर्ण पार्किंग स्थल इत्यादि।	

नोट– (1) मैने भाव पत्र भरने के पूर्व आयोग के भवन, परिसर एवं भवन में स्थित टायलेट एवं बाथरूम इत्यादि का अवलोकन कर लिया है।
(2) निविदा में उल्लेखित दर समस्त दरों को समावेशित करते हुए है एवं उपरोक्त के अतिरिक्त कोई भी राशि आयोग द्वारा देय नहीं होगी।
(3) आयोग सफाई कर्मचारियों के प्रति समस्त वैधानिक दायित्वों यथा न्यूनतम वेतन, बीमा आदि से विमुक्त होगा।

हस्ताक्षर ....

फर्म का नाम ....

....

पता ....

....

(अ) कार्यालय का पता एवं फोन नं...........................

(ब) मुख्य कार्यालय का पता एवं फोन नं ....

निविदाकर्ता का नाम ....

मो. नं..